

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 56/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002  
भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय प्रथम तल, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर,  
(राज.) 302005 शाखा कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक रानौली, जिला सीकर (राजस्थान)

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

लाविना पत्नी श्रीराज, पता—ग्राम तुलसीरामपुरा, परनामी मंदिर के पास, तहसील दांतारामगढ़,  
जिला सीकर (राज.) 332402

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of  
financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निणय

दिनांक: 14.10.2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बगड़िया द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी लाविना पत्नी श्रीराज की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी लाविना पत्नी श्रीराज के स्वामित्व की चल सम्पत्ति TATA NEXON XM 1.5 TQBS4 (DIESEL) CAR है। जिसका Reg. No. RJ23CC9309, Engine No. 1.5CRAIL01EPYW14450, Chassis No. MAT627121KLE25146 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल 9,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये नौ लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।



  
मुकुल शर्मा  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **12.06.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी **लाविना पत्नी श्रीराज** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **लाविना पत्नी श्रीराज** के स्वामित्व की चल सम्पत्ति **TATA NEXON XM 1.5 TQBS4 (DIESEL) CAR** है। जिसका **Reg. No. RJ23CC9309, Engine No. 1.5CRAIL01EPYW14450, Chassis No. MAT627121KLE25146** है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
6. आदेश आज दिनांक **14.10.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
मुकुल शर्मा  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर